


23/6/22 प्रजावणी पेज हूनी। प्रथी स्वयं अनुपस्थित।
कार-कार अवाज लगावामी जाभी, अवाज लगावामे
के उपरान्त भी प्रथी की ओर से कोई उपस्थित
नही आता। अतः प्रथी का प्रथीय पत्र अदत
हाजरी अदत पैरवी में खारीज किया जाता है।
प्रजावणी फॉर्मल शुभ्र होकर नम्बर से कर होकर
दफ्तर वाकिल हो।


(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)